System since January, 1992 to June, 1992 is given below :—

(in tonnes)

Month	Quantity Lifted by States /Uts.	
	Rice	Wheat
January, 92 . .	785900	717100
February, 92 . .	765600	749100
March, 92 . .	673800	746500
April, 92 . .	679700	539400
May, 92 . .	785700	631500
June, 92 . .	818700	684800

(b) to (d) The overall responsibility for the implementation of the Public Distribution System (PDS) rests with the State Government/UT Administrations. Decisions regarding opening of Fair Price Shops (FPS), allocation of foodgrains to districts etc., enforcement of Essential Commodities Act and other related matters are taken by the State Governments. Proper implementation and redressal of grievances from fair price shops licences and other public is also done by them. In a vast operation of such magnitude in which more than 16 million tonnes of foodgrains are handled per annum, some complaints here and there about the functions of PDS cannot be ruled out.

सरकारी डिपुओं के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं का वितरण

4624. **श्री महेश्वर सिंह :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश भर में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों को अन्य उपभोक्ताओं की तुलना में कम दर पर खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुएं सरकारी डिपुओं के माध्यम से देने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

नागरिक आपूर्ति, और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) गरीबी की रेखा से नीचे लोगों को अपेक्षाकृत कम दरों पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के विक्री केंद्रों के जरिए आवश्यक वस्तुओं के वितरण का कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है । सरकार की मौजूदा नीति के अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली सभी के लिए है और इसमें आय अथवा वसाय के आधार पर लाभभोगियों के बीच भेदभाव नहीं किया जाता । आर्थिक रूप से कमजोर क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं की कारगर पहुंच में सुधार करने की दृष्टि से, लगभग 1700 ब्लाकों की पहचान की गई है जहां समाज के निर्धन वर्गों का एक बड़ा हिस्सा रहता है । इन अभिज्ञात क्षेत्रों में खाद्यान्नों का वितरण विशेष रूप से राजसहायता प्राप्त दरों पर किया जाता है जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सामान्य दरों से 50/- रु० प्रति क्विंटल कम होती है ।

राज्यों के लिए निर्धारित आवश्यक वस्तुओं का कोटा

4625. **श्री महेश्वर सिंह :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सार्वजनिक वितरणप्रणाली के अंतर्गत प्रदेशवार, चावल, गेहूं, चीनी और अन्य आवश्यक खाद्य सामग्री का कितना-कितना कोटा कितनी-कितनी जनसंख्या के लिए निर्धारित किया गया है ; और

(ख) उपर्युक्त कोटे के अनुसार प्रति व्यक्ति खाद्य पदार्थों की आबंटित मात्रा कितनी है और उनकी वास्तविक मांग कितनी है ?

नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए वितरण हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की आवश्यक वस्तुओं का आबंटन आमतौर पर राज्यों की मांग, केंद्रीय पूल में उपलब्ध भंडार की स्थिति, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की आपसी आवश्यकता, मौसम जन्य कारक आदि जैसी बातों को ध्यान में रख कर किया जाता है । चावल, गेहूं और आयातित-खाद्य तेलों के मामले में आबंटन जनसंख्या के आधार पर नहीं किए जाते हैं । सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए किए गए आबंटन केवल अनुपूरक स्वरूप के होते हैं और उनका उद्देश्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की समूची मांग को पूरा करना नहीं होता ।

तथापि, लेवी चीनी का आबंटन 1-10-86 को अनुमानित जनसंख्या के लिए 425 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिमाह उपलभ्यता के एक समान मापदण्ड के आधार पर किया जाता है । राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अगस्त, 1991 से सितम्बर, 1992 तक के लिए लेवी चीनी के आबंटन में 5% की तदर्थ वृद्धि करने की अनुमति दी गई है ।

व्यापारियों की मांगें

4626. **श्री अनन्तराम जायसवाल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फेडरेशन ऑफ आल इंडिया फूड ग्रेन एसोसिएशन के आह्वान पर 28-7-92 को देश भर से आये हुए व्यापारियों के प्रतिनिधिमण्डल ने प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया था ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) प्रधान मंत्री को तथा इस मंत्रालय को फैडनेशन ऑफ आल इंडिया फूडग्रेन्स डीलर्स एसोसिएशन्स सहित व्यापारियों की एसोसिएशनों से अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं । मूल रूप से आपत्ति आवश्यक वस्तुएं (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1981 को 31-8-1992 के बाद, जबकि उसकी वैधता की अवधि समाप्त हो जाती है, आगे बढ़ाने के बारे में उठाई गई है । यह मामला सरकार के विचाराधीन है ।

Extension of Essential Commodities Act

4627. SHRI V. NARAYANASAMY: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) what were the demands made by the traders on the extension of Essential Commodities Act after its expiry date; and

(b) what are the details thereof and the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI KAMALUDDIN AHMED): (a) and (b) Traders' Organisations have represented to Government that the validity of the Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981 should not be extended after its validity expires on 31.8.92. The following are the main points generally made as arguments against the continuation of the Special provisions:—

(a) Non-bailable nature of offences leads to harassment and bail is not granted even for minor offences.

(b) Mandatory punishment of minimum of 3 months.

(c) Appeal against order of confiscation to State Government and not a judicial authority.